सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।
पत्रांक- 317/मं0/219/18/दिनांक 28-10-2018

माननीय मुख्य मंत्री,

आपको स्मरण होगा कि विगत 24.10.2018 को एक पत्र लिखकर मैंने राज्य के महाधिवक्ता को पदमुक्त करने का आग्रह आपसे किया था। इसका कारण था कि उन्होंने महाधिवक्ता पद की गरिमा के विपरीत झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमा संख्या L.P.A. No. 351 of 2018 में न्यायालय की खंडपीठ को गलत सूचना दिया था। फलस्वरूप इस मुकदमा में न्यायालय का निर्णय राज्यहित और ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत आया।

मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे एक अन्य मुकदमा संख्या L.P.A. No. 236/2012 (टाटा स्टील लि. बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य) में भी महाधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के निर्णय के संबंध में गलत सूचना राज्य सरकार को दी है। अपने पत्रांक 6777 दिनांक 04.07.2017 द्वारा महाधिवक्ता ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव तथा पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त को उच्च नयायालय द्वारा इस मामले में एक मौखिक आदेश दिये जाने की सूचना दी है, जो कि गलत पाया गया। महाधिवक्ता ने अपने पत्र में जो गलत सूचना दी है वो निम्नवत है:--

"The matter was listed on 03.07.2017 upon request made by the undersigned to the Hon'ble Court and the undersigned also pressed the said I.A., however adjournment was prayed by the other side on one plea or the other. The Hon'ble Court has upon the undersigned pressing for leave in the light of the status quo order, however made oral observations that the State Govt. is free to take corrective measures, pass necessary orders and take necessary actions with respect to the matters and the status quo order passed by the Hon'ble Court may not stand in the way of the State Govt. in taking corrective decisions or actions, if the same is in accordance with law."

महाधिवक्ता का यह पत्र अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। वस्तुतः माननीय उच्च न्यायालय की संबंधित खंडपीठ ने दिनांक 03.07.2017 को ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया था। दिनांक 03.07.2017 को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिये गये आदेश की प्रति अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

महाधिवक्ता के इस पत्र के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को कार्रवाई करने के लिये निदेशित किया और उन्होंने इस आधार पर जमशेदपुर के श्री दलजीत सिंह, जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता श्री अमरप्रीत सिंह काले के बड़े भाई हैं, की जमीन की जमाबंदी रद्द कर दिया। इस संदर्भ में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को दिये गये आदेश की प्रति अनुलग्नक–3 के रूप में संलग्न है।

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2482455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी श्री दलजीत सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने जब माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान राज्य के महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय के आदेश के बारे में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को गलत सूचना देने की ओर आकृष्ट कराया तो खंडपीठ ने इस पर नाराजगी व्यक्त की तथा शपथ पत्र देने का आदेश दिया। फलस्वरूप महाधिवक्ता ने अपने पत्रांक 3931 दिनांक 26.04.2018 द्वारा उनके पूर्व के पत्र संख्या 6777 दिनांक 04.07.2017 के उद्धरण को विलोपित करने के लिये राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को लिखा। तदनुसार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस उद्धरण को विलोपित करने का शपथपत्र दिया और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को निदेशित किया कि महाधिवक्ता की सूचना पर आधारित विभाग द्वारा पूर्व में भेजे गये पत्र को इसके आलोक में संशोधित समझा जाय। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को प्रेषित पत्र संख्या–4/स0भू0 पूर्वी सिंह0–115/15 1819(4)/रा0 दिनांक 26.04.2018 अनुलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।

परंतु महाधिवक्ता द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को न्यायालय के आदेश की गलत सूचना देने के कारण 04.07.2017 से 26.04.2018 तक के बीच की अवधि में परेशानी प्रतिवादी को काफी परेशानी झेलनी पड़ी वह अवर्णनीय है जो संक्षेप में निम्नवत है:–

1. पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने प्रतिवादी के प्रासंगिक भूमि की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ कर दिया।
2. इस प्रक्रिया के विरूद्ध प्रतिवादी झारखंड उच्च न्यायालय गये। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश दे दिया।
3. जिस तिथि में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया उसी तिथि में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने प्रतिवादी की प्रासंगिक भूमि की जमाबंदी रद्द कर दिया।
4. इसपर प्रतिवादी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के विरूद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया। यह मुकदमा माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष विचाराधीन है।

प्रतिवादी ने इस अन्याय के विरूद्ध अनेक दरवाजा खटखटाया। चुंकि मैं जमशेदपुर पश्चिम से विधान सभा का सदस्य हूँ और वे वहां के निवासी हैं इस नाते उन्होंने मुझे भी एक लिखित अभ्यावेदन दिया जिसे मैंने अपने कार्यालय के गै0प्रे0सं0 1637/मंत्री कोषांग, दिनांक 05.02.2018 द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया। इस बारे में विभाग की ओर से अभी तक मुझे इस पत्र की प्राप्ति स्वीकृति भी नहीं प्राप्त हुई है।

संक्षेप में यह पूरा प्रकरण निम्नवत है:–

Scanned with OKEN Scanner

1. प्रतिवादी श्री दलजीत सिंह ने जमशेदपुर के सर्किट हाउस एरिया में करीब 5 एकड़ भूमि वर्ष 90 के दशक में क्रय किया था।
2. इस भूमि पर टाटा स्टील लि. के साथ विवाद था कि यह भूमि टाटा लीज की है या रैयती है।
3. इस संबंध में पूर्ववर्ती बिहार सरकार तथा 2012 तक झारखंड सरकार का यही अभिमत रहा है कि यह जमीन रैयती है। इस मुकदमे में पूर्ववर्ती बिहार सरकार और बाद में झारखंड सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में इस आशय के शपथ पत्र दायर किये हैं।
4. 2012 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला टाटा स्टील लि. के विरोध में हुआ। इसके बाद टाटा स्टील ने झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने इसकी अपील किया। अपील में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश हुआ।
5. उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में झारखंड सरकार ने इस जमीन की जमाबंदी श्री दलजीत सिंह के पक्ष में करने का निर्देश दिया। जिसके अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जमीन की जमाबंदी श्री दलजीत सिंह के पक्ष में कर दिया।
6. इस बीच किसी मुंशी रजक के नाम से एक बेनामी आवेदन सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि यह जमीन सरकारी है इसलिये जमाबंदी रद्द कर इसे सरकारी खाता में शामिल किया जाय।
7. मुंशी रजक नाम का व्यक्ति कौन है? कहां रहता है? उसका कोई अता–पता नहीं चला। यानी यह आवेदन एक तरह से बेनामी था। फिर भी राज्य सरकार ने इस पर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम का मंतव्य मांगा। पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन उपायुक्त ने इसपर अपना मंतव्य भेज दिया।
8. इसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त बदल जाने के बाद राज्य सरकार ने पुनः पूर्वी सिंहभूम के वर्तमान उपायुक्त से सुस्पष्ट मंतव्य मांगा।
9. उपायुक्त ने अपने मंतव्य में जमाबंदी के संबंध में 6 त्रुटियों का उल्लेख किया। प्रतिवादी के अनुसार ये त्रुटियां वही थीं जिनका जिक्र टाटा स्टील लि. ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमा में किया था और वह मुकदमा खारिज हो गया था।
10. इस बीच उपायुक्त के तथाकथित सुस्पष्ट मंतव्य के आलोक में राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि वे इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश को बदलवाने के लिये एक हस्तक्षेप याचिका न्यायालय के समक्ष दायर करने की कार्रवाई करें तथा जमाबंदी सृजित करने वाले दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु प्रपत्र–'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध करायें।
11. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम ने हस्तक्षेप याचिका दायर करने के संबंध में सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य मांगा। झारखंड उच्च न्यायालय में सरकार के स्टैंडिंग

Scanned with OKEN Scanner

काउंसिल (लैंड सिलिंग) श्री विकास किशोर प्रसाद ने 12.01.2017 को अपना मंतव्य दे दिया और कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करना न केवल कानून के विरूद्ध होगा बल्कि घोर अनियमित भी होगा। इस मंतव्य के प्रासंगिक पृष्ठ की छायाप्रति अनुलग्नक–5 के रूप में संलग्न है।

12. इसके बाद भी पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने सरकार के आदेशानुसार इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर कर दिया जो विचाराधीन है।
13. माननीय उच्च न्यायालय ने इस हत्सक्षेप याचिका को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। इसके बावजूद महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से इस मुकदमा में लगातार बहस कर रहे हैं और इसी बहस के दौरान उन्होंने 04.07.2017 को न्यायालय के उस मौखिक आदेश के बारे में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को गलत सूचना दे दिया जो आदेश न्यायालय ने दिये ही नहीं थे।

महोदय, उर्पयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाधिवक्ता का आचरण उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है और वे सरकार के मंतव्य के बारे में माननीय उच्च न्यायालय को गलत सूचना देने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में सरकार को गलत सूचना देने के दोषी हैं। पता नहीं अन्य कितने मामलों में उन्होंने राज्य सरकार को ऐसा ही मंतव्य दिया होगा। अतः आवश्यक है कि महाधिवक्ता पद की गरिमा तथा राज्यहित एवं जनहित को ध्यान में रखते हुये इन्हें महाधिवक्ता पद से शीघ्रातिशीघ्र हटाया जाय।

भवदीय

28.10.18

सरयू राय

सेवा में,
श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार।

Scanned with OKEN Scanner

FAX

# OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
# JHARKHAND HIGH COURT, RANCHI

Memo No. 6777 Date : 04/07/17

6917
05/7/17

From :

**Ajit Kumar**
Additional Advocate General,
Jharkhand

**Residence :**
H-60, Near Sahjanand
Chowk
Harmu Housing Colony,
Ranchi,
**Office :**
A.A.G. Chamber,
Jharkhand High Court,
Ranchi

To,
1. The Principal Secretary, Department of Revenue & Land Reforms, Government of Jharkhand, Ranchi
2. The Deputy Commissioner, East Singhbhum, Jamshedpur

**Sub:-** LPA No. 236/2012 (M/s Tata Steel Ltd. Vrs. State of Jharkhand & Ors.)

Sir,

It is to bring to your kind notice that in the aforementioned matter, one Interlocutory Application bearing No. 3252/2017 was preferred by the State Govt. with a prayer for vacating the status quo order dated 15.06.2012 passed by the Hon'ble High Court or for giving appropriate clarification or leave to the State Govt. for taking appropriate decision/passing of an appropriate order about the correct status of the land in dispute.

It has been said in the said I.A. that the State Govt. has now got a number of facts and documents which goes to suggest that the relevant orders which were passed earlier, ought not to have been passed and thereby the said orders need to be recalled/cancelled or challenged as per law and the officers making such orders, if on wrongful consideration also needs to be proceeded against departmentally. In support of the said contention, the report of the D.C., East Singhbhum, Jamshedpur dated 15.10.2016 has been relied upon and appended in the I.A.

The matter was listed on 03.07.2017 upon request made by the undersigned to the Hon'ble Court and the undersigned also pressed the said I.A., however adjournment was prayed by the other side on one plea or the

Scanned with OKEN Scanner

other. The Hon'ble Court has upon the undersigned pressing for leave in the light of the status quo order, however made oral observations that the State Govt. is free to take corrective measures, pass necessary orders and take necessary actions with respect to the matters and the status quo order passed by the Hon'ble Court may not stand in the way of the State Govt. in taking corrective decisions or actions, if the same is in accordance with law.

This is for your kind information.

Thanking you,

**Your sincerely,**

4/07/2017

**(Ajit Kumar)**

**Additional Advocate General, Jharkhand**

Scanned with OKEN Scanner

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
L.P.A No.231 of 2012
With
L.P.A No.227 of 2012
With
L.P.A No.236 of 2012

---

CORAM: HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE AMITAV K. GUPTA

---

**20/Dated: 03rd July, 2017**
**Per D.N. Patel, A.C.J**

1. At the request of counsel for the appellant, these matters are adjourned to be listed on 20.07.2017.

sd/- (D.N. Patel, A.C.J)
sd/- (Amitav K. Gupta, J)

Dey - Chandan/-

21/13.07.2017 At the request of learned counsel for the appellants, these matters are adjourned to be enlisted on 03.08.2017.

sd/- (D.N. Patel, ACJ)
sd/- (Ratnaker Bhengra, J)

Manoj/-

Certified to be True Copy
24.8.2017

Rules

अनुलग्नक-3

पत्रांक–4/स०भू० पूर्वी सिंह०–115/15......3577......(4)/रा०

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

राँची, दिनांक–.....10-07-17

विषय :– I.A. No.-3252/2017 in L.P.A. No.-236/2012 (Tata Steel Limited Vrs State of Jharkhad & Ors.) के संबंध में।

प्रसंग :– श्री अजीत कुमार, अपर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची का पत्रांक–6777, दिनांक–04.07.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र जो आपको भी सम्बोधित है, की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि श्री अजीत कुमार, अपर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा सूचित किया गया है कि विषयांकित वाद में दिनांक–03.07.17 को हुई सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय का निम्नांकित oral observations है :–

"The Honb'le Court has upon the undersigned pressing for leave in the light of the status quo order, however made oral observations that the State Govt.is free to take corrective measures, pass necessary orders and take necessary actions with respect to the matters and the status quo order passed by the Hon'ble Court may not stand in the way of the State Govt. in taking corrective decisions or actions, if the same is in accordance with law."

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में विषयांकित मामले पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय एवं तत्संबंधी कृत कार्रवाई से अविलंब इस विभाग को अवगत कराया जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/7/17

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक– 4 / स0भू0 पूर्वी सिंह0–115 / 15 – 1819 (4) / रा0

झारखंड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

उदय प्रताप
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

रांची / दिनांक– 26.04.2018

विषय : I.A. No.-3252/2017 in L.P.A. No.-236/2012 (Tata Steel Limited Vrs State of Jharkhand & Ors) तथा अपर महाधिवक्ता के पत्रांक 6777 दिनांक 04.07.2017 के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय के द्वारा जारी पत्रांक–4 / स0भू0 पूर्वी सिंह0–115 / 15 3577 (4) / रा0 दिनांक 10.07.17 में निहित विषय, वक्तव्य तथा निर्देशों के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र पत्रांक–3577 / रा० दिनांक 10.07.2017 के द्वारा उपर्युक्त वाद में निहित विषय के संदर्भ में श्री अजीत कुमार, अपर महाधिवक्ता द्वारा लिखित पत्र पत्रांक–6777, दिनांक 04.07.2017 को उद्धरित करते हुए आपको विषयांकित मामले पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

उपर्युक्त पत्र में श्री अजीत कुमार, अपर महाधिवक्ता के पत्र में उल्लिखित उद्धरणों का, जिसे इस कार्यालय के द्वारा जारी पत्र पत्रांक 3577 / रा० दिनांक 10.07.2017 में उल्लेख किया गया था के संबंध में महाधिवक्ता के पत्र पत्रांक –3931 दिनांक 26.04.2018 के द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए उपर्युक्त उद्धरणों को विलोपित करते हुए उपरोक्त पत्र पत्रांक–3577 / रा० दिनांक 10.07.2017 को सुधार किये जाने तथा कार्रवाइयों को विधि–सम्मत और राज्य सरकार के अधिकार–सीमा के निहित स्पष्ट किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है।

अतः आपको सम्बोधित पत्र पत्रांक–3577 / रा० दिनांक 10.07.2017 के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि उपरोक्त विवाद अथवा विषय के संबंध में उपरोक्त उद्धरणों को विलोपित मानते हुए विधि–सम्मत की गयी कार्रवाइयां या की जाने वाली विधि–सम्मत कार्रवाइयां ही मान्य होंगी।

एतद् द्वारा इस कार्यालय के द्वारा जारी पत्र पत्रांक–3577 दिनांक 10.07.2017 को उपरोक्त के आलोक में संशोधित समझा जाये, यद्यपि सरकार के स्तर पर की गयी या की जाने वाली विधि–सम्मत कार्रवाइयां सुरक्षित रहेंगी।

विश्वासभाजन

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Additional District Magistrate
( L. & Order )
East Singhbhum, Jamshedpur.

Scanned with OKEN Scanner

19.11.2005. Therefore final decision to release the lands has been taken which cannot be withdrawn.

In view of the facts stated herein above, it is apparent that all thoughout, the State Government has supported the cause of the raiyats and all the affidavits have been filed in their support, therefore to controvert from the stand taken earlier may lead to swearing of affidavits, in which, inconsistent stands will be taken which is not permissible in law, changing the stand again and again and taking inconsistent pleas involves the danger of swearing false affidavit which amounts to committing Criminal Contempt.

It is well settled that admissions made cannot be withdrawn nor anybody is entitled in law to spring a surprise and bring up, a totally new case, altogether that too at an appellate stage. The well known old saying that nobody can be allowed to blow hot and cold at the same time, has been the basic principle of legal jurisprudence since time immemorial.

In my view to file an interlocutory application controverting the earlier stand will not only be contrary to law, but will also be grossly illegal and unsustainable, besides it will give an opportunity to the adversaries to make criticism of the State Government at its ever shifting stands like sand dunes.

Moreover at this stage filing of an interlocutory application by the State Government for making settlement of the lands in question in

Vikash Kishore Prasad Advocate
Standing Counsel
Land Reforms
Jharkhand High Court

Scanned with OKEN Scanner